2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Sikkim.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2161(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए IV अतिरिक्त मेट्रोपोलिटिन सत्र न्यायाधीश-सह-XVIII अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, शहर सिविल न्यायालय, हैदराबाद के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिस्चित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण । आंध्र प्रदेश राज्य होगा ।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Andhra Pradesh.

INo. 17011/50/2009-IS-VII

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2162(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, पुडुचेरी को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होगा ।

> [सं. 17011/50/2009-आई एस-VI] धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Puducherry.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2163(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए बम-विस्फोट न्यायालय, चेन्नै को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्मूर्ण तमिलनाडु राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Cengovernment hereby notifies the Bomb Blast Court, Chennai as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2164(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय श्री यू. सी. ध्यानी, जिला

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1556(अ).—दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, तिमलनाडु राज्य के भू-धाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री एन. चन्द्रशेखरा अधिवक्ता तथा श्री सी. एस. एस. पिल्लै उर्फ सास्ता सिवातानु पिल्लई, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI(IV)] धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with subsection (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri N. Chandraseker, Advocate and Shri C. S. S. Pillai @ Sastha Sivathanu Pillai, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Tamilnadu.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

तथा चूंकि श्री थिरू के. दक्षिणामूर्ति, प्रथम न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई जिन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु दिनांक 22 अगस्त, 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1940 (अ.) द्वारा न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था जो दिनांक 31 जुलाई, 2012 को सेवानिवृत्त हो गए थे।

अतः इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, दिनांक 22 अगस्त, 2012 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड -3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 अगस्त, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ.1940 (अ.) का अतिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई या करने हेतु छोड़ दी गई, माननीय मुख्य न्यायाधीश, मद्रास न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय की सिफारिश पर श्री थिरू वी. रामास्वामी जिला न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग)]

राकेश सिंह संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

S. O. 3406(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had notified, vide notification number S. O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, the Sessions Court for exclusive trial of Bomb Blast Cases, Chennai as the Special Court for purposes of said sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai, was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1940 (E), dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, who retired on the 31st July, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act, and in supersession of the notification number 1940 (E), dated the 22nd August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd August, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby appoints Thiru V. Ramasamy, District Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV (Pt.)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.